




कैम्प कार्यक्रम

प्रशासन शहरों के रांग-2021 के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में उपायुक्त पीआरएन दक्षिण-प्रथम के प्रस्तावानुसार गू0 गि0 सा0 समिति की आवारतीय योजना का नियमन शिविर कार्यक्रम सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार आयोजित किया जाना है:-

क्र. सं.	जोन	दिनांक	सोसायटी का नाम	योजना का नाम	ग्राम	मूखण्ड	शिविर स्थल
1.	पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)	13.01.2023	राम नगर गू.गि.रा.स.	मूण्ड नगर-सी	मान्यावास	1-31	जोन कार्यालय


उपरोक्त योजनाओं की सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर आगजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त योजनाओं की सदस्यता सूची के सम्बन्ध में अथवा अन्य कोई आपत्ति यदि किसी व्यक्ति/संस्था को हो तो कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में सम्बन्धित जोन उपायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

- कैम्प में डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.)/ बैकर चैक के माध्यम से भी राशि रवीकार्य।
- डी.डी. राशि अधिक होने पर आधिक्य राशि का रिफण्ड देय।
- कैम्प में इन्टरनेट बैंकिंग से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध।
- कैम्प में नागरिक सेवा केन्द्र में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाएंगे।


(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शारान सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त/आयोजना/विधि), जविप्रा जयपुर।
5. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
6. संयुक्त आयुक्त(संसाधन विकास एवं सम्बन्ध/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि कैम्प आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवाना एवं आगन्तुकों से मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा को जयपुर-शिविर स्थल पर माकूल व्यवस्था बनाये रखने हेतु।
8. उपायुक्त पीआरएन, (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा, जयपुर को गेजकर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तावित कैम्प कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया गया है, फिर भी कैम्प से पूर्व योजना की नियमानुसार जांच करके ही कैम्प कार्यक्रम सुनिश्चित करें।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराने हेतु।
10. उप निदेशक(जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. उपायुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर को शिविरों के दौरान आवश्यक कार्मिकों की व्यवस्था एवं प्राप्त नकद राशि की सुरक्षा तथा रटागप वेंडर व नोटरी पब्लिक की व्यवस्था करने हेतु।
12. उपायुक्त (स्टोर), जविप्रा, जयपुर को जोन उपायुक्तों की आवश्यकता अनुसार शिविरों हेतु टैंट कुर्सी पानी पंखे स्टेशनरी आदि की व्यवस्था हेतु।
13. उपायुक्त (वाहन), जविप्रा, जयपुर को जोन उपायुक्तों की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), जविप्रा को विद्युत संबंधी व्यवस्था हेतु।
15. तहसीलदार, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
16. लेखाधिकारी (भुगतान), को शिविरों में कैशियर की व्यवस्था हेतु।
17. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जविप्रा परिसर, जयपुर।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आर.सी.आर.), जविप्रा, जयपुर।
19. केयर टेकर, जविप्रा, जयपुर।
20. पी.बी.एक्स/रवागत कक्ष, जविप्रा, जयपुर।
21. रक्षित पत्रावली।


(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन)